राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 06/2017-6481 वि०स० 2/8/17

प्रिय .....

षोडश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 23 फरवरी, 2017 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 31 मार्च, 2017 को स्थगित हुआ । पुनः दिनांक 12.04.2017 को माननीय सदन नेता के अनुरोध पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-17 के परन्तुक के तहत् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा पंचम सत्र का एक उपवेशन दिनांक 24 अप्रील, 2017 को निर्धारित किया गया । दिनांक 24 अप्रील, 2017 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । पंचम सत्र में कुल चौबीस (24) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि विगत दिनों आप सबों के सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहयोग से बिहार विधान सभा का स्थापना दिवस मनाया गया । इस कार्यक्रम में इस सदन के पूर्व सदस्यगण की भी भागीदारी हुई । विशेष रूप से आप सबों ने सामाजिक संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के रूग्न एवं जरूरतमंद लोगों के लिए जो रक्तदान किया इसके लिए आप बधाई के पात्र है । इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है और पूरे देश में इसे एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है ।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बीच सभा सचिवालय द्वारा आप सबों की सुविधा हेतु दो मोबाईल ऐप जारी किये गये है । एक ऐप बिहार विधान सभा के नाम से है जो सभी स्मार्ट फोन पर क्रियाशील रहेगा । इसमें मंत्रिपरिषद् के सदस्यों सहित सभी माननीय सदस्यों के प्रोफाईल, समिति की बैठकों, सभा सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं दिन-प्रतिदिन की अन्य गतिविधियों की जानकारी सभी सदस्यों को मोबाईल फोन पर मिलती रहेगी । दूसरी ऐप का नाम स्वास्थ्य समीक्षा एंड्रायड एप्लीकेशन है इससे माननीय सदस्य अपने इलाके के महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों, सरकार की योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में सूचनाएँ अपने मोबाईल पर प्राप्त कर सकेंगे ।

आप सभी माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए सदन के अंदर माईक के साथ-साथ ईयर फोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आपको सभा की कार्यवाही में भाग लेने में सहूलियम होगी । संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय जनप्रतिनिधियों के लिए विमर्श केन्द्र होता है । सार्थक विमर्श ही प्रदेश की समस्याओं का निवारण करने में सहायक हो सकती है । सदन में विमर्श की स्थिति एवं माहौल बनाना हम सबका कर्तव्य है । हमें राज्य की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना होगा, साथ ही सदन में वाद-विवाद को स्तरीय बनाने हेतु भी लगातार प्रयत्न करने होंगे । मुझे आशा एवं विश्वास है कि सदन के सफल कार्य संचालन में आप सबों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2017 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 23 फरवरी, 2017 को सम्बोधित किया गया । श्री श्याम रजक, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्रीमती एन्या यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2017 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनी मत से पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 23 फरवरी, 2017 को चतुर्थ सत्र में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित कुल छः (6) विधेयकों में से महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 5 (पाँच) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया एवं एक (1) विधेयक " आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016" पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति अप्राप्त रहने की भी सूचना सदन को दिया गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 27 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 01 एवं 02 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 12 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग ध्वनी मत से पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी दिनांक 28 मार्च, 2017 को बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पारित हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 03 मार्च, 2017 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा (2) "विनियोग लेखे", जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी प्रस्ताव करेंगे कि बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2015-2016 का "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)" तथा (2) "विनियोग लेखे" को विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 25(4) के तहत् बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) एवं 104(4) के तहत् बिहार विद्युत विनियामक आयोग का "वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन यथा संलग्न वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का वार्षिक लेखा विवरण, उक्त पर महालेखाकार, बिहार द्वारा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (SAR) सहित" की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
6. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा- 8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) "राज्य का वित्त", (2) "राजस्व प्रक्षेत्र" तथा (3) "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) "राज्य का वित्त", (2) "राजस्व प्रक्षेत्र" तथा (3) "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" ।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के परिणाम बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के जेन्डर बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
14. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
15. कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा-31(3) के अनतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2017
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017
3. बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017
4. बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017
5. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
6. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
7. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

8. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017
9. बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017
10. बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017
11. बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017
12. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
13. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
14. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017

याचिका

इस सत्र में कुल 296 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 238 स्वीकृत हुए तथा 58 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 846 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 780 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 66 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 4499 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 3488 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 33 अल्पसूचित, 3107 तारांकित एवं 348 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 458 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 1083 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 69, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 21 एवं 1857 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 493 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 41 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 440 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 12 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 268 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 264 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 04 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं में से 223 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 15 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 01 सूचना सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 25 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय किशोरी सिन्हा, पूर्व सांसद
2. स्वर्गीय शांति देवी, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय सुरेन्द्र कुमार 'तरूण', पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय प्रमोद कुमार शर्मा, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय रामनन्दन सिंह, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय मो० एजाजुल हक, पूर्व स०वि०स०

7. स्वर्गीय चुनचुन प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
8. स्वर्गीय सैयद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद
9. स्वर्गीय रवि रे, पूर्व सांसद एवं पूर्व लोक सभा अध्यक्ष
10. स्वर्गीय नरसिंह बैठा, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 24 अप्रील, 2017 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

31/5/17

(राम श्रेष्ठ राय)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

.....

.....

.....